भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3030
दिनांक 11/03/2026 **को उत्तर के लिए**

राष्ट्रीय ई–विधान एप्लीकेशन (नेवा)

3030. **श्री रमेश अवस्थी:**
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री सतीश कुमार गौतम:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के अंतर्गत राज्य विधान सभाओं के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) का उनके मुख्य प्रावधानों सहित ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विधायी कार्यप्रवाह (वर्कफ़्लो) के डिजिटलीकरण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) दस्तावेजों की उपलब्धता, प्रश्नों को प्रस्तुत करने और सदन की कार्यवाही में भागीदारी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित उपकरणों जैसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने "डिजिटल सदन" के रूप में परिवर्तन की प्रगति का आकलन किया है और क्या इसे देशव्यापी स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) एक एकीकृत डिजिटल पहल है जिसे एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें डिजिटल सदनों में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी भी विधानमंडल में इस परियोजना को लागू करने का काम भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और संबंधित राज्य के विधानमंडल के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से होता है। वर्तमान में, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों ने नेवा को अपनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू में, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र और राज्य के बीच लागत-साझाकरण की रूपरेखा का उल्लेख होता है और निधियां जारी करने की शर्तें निर्धारित होती हैं।

(ख) वर्तमान में, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल अपने विधायी कार्य का निष्पादन नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल मोड में कर रहे हैं और शेष 7 कार्यान्वयन के अलग-अलग चरण में हैं।

(ग) नेवा सॉफ्टवेयर सूट में मोबाइल और वेब एप्लीकेशन, एक पब्लिक पोर्टल और ई-बुक मॉड्यूल शामिल हैं, जिन्हें विधायी कार्य-प्रवाह के पूर्ण डिजिटलीकरण हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह प्रश्नों और नोटिसों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत करने, विधायी कामकाज के डिजिटल प्रोसेसिंग और विधायी दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करती है। यह परियोजना विधानमंडल के

कागज रहित कामकाज में सहायक ज़रूरी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर स्थापित करने की भी व्यवस्था करती है।

(घ) और (ङ) हाँ। सरकार ने देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा को अपनाने के लिए प्रावधान किया है।

*****